

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(TAX DIVISION)

Jaiapur, dated: 01.06.2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on the instruments of loan upto rupees two lakhs executed for the purpose of financing the skill development course under the Chief Minister Skill Subsidy Scheme shall be remitted on production of entitlement certificate issued by the Department of Skill, Employment and Entrepreneurship or any officer authorised by it before Registering Officer.

[No.F.2(23)FD/Tax/2017-25]

By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)  
Jt. Secretary to the Government

राजस्थान-सरकार

कायालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.

"पंजीयन-मवन", अजमेर

दिनांक : 06.06.2017

क्रमांक : एक.7(56)जन/2016-17 / 5714-6299

राज्य अधिसूचना क्रमांक एक.2(23)विन/कर/2017-25 दिनांक 01.06.17 की प्रति सूचनाएँ, पालनाएँ एवं तत्काल आवश्यक कायदाएँ हेतु निम्नलिखित प्रेषित है :-

- 1 शासन सचिव, विन (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 महानिदेशक, राज्य राजस्व आर्यवना निदेशालय, राजस्थान, मूल 'डी' ब्लॉक विन मवन, जयपुर।
- 3 समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
- 4 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एम.आर.ए.5/कायालय महानिरीक्षक, (गणितीयक एवं प्रावि लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- 5 पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनाएँ।
- 6 आयुक्त, कांवाल, नियोजन एवं उद्योगिता, जी-8ए, ई.एम.आई.परिसर, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
- 7 वितीय सलाहकार, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मुख्यालय अजमेर।
- 8 अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, चतुर्थ तल, विन मवन, जयपुर।
- 9 समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक कलेक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
- 10 सयुक्त निदेशक (क्यूटर), मुख्यालय अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधिसूचना की वेबसाईट [irs.rajasthan.gov.in](http://irs.rajasthan.gov.in) पर तत्काल अपलोड करावे।
- 11 समस्त उप पंजीयक (पूर्वाकालीन एवं मुद्रांक), राजस्थान।
- 12 निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।

(रु. जयपाल)  
अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन),  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान, अजमेर